संख्या-18 /2022/319जेएल/22-3-2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर सचिव,
गृह विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 29 अप्रैल, 2022*

विषय- केन्द्रीय कारागार, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बलवीर सिंह पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी-मुनीर नगर, थाना-अमापुर, जनपद-कासगंज, उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-ई-18593/एक्सएक्स-2/2022-01(32)/2010, दिनांक 10-02-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कैदियों का स्थानान्तरण अधिनियम-1950 की धारा-3 सपठित उत्तराखण्ड जेल मैनुअल के प्रस्तर-141 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत सिद्धदोष बंदी को केन्द्रीय कारागार, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) से केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति/आख्या उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कैदियों का स्थानान्तरण अधिनियम-1950 की धारा-3 तथा उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-141/142 में निहित प्रावधान के अनुसार सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा केन्द्रीय कारागार, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बलवीर सिंह पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी-मुनीर नगर, थाना-अमापुर, जनपद-कासगंज, उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में स्थानान्तरित किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या- 18 /2022/319जेएल(1)/22-3-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या-9175/सामा-1(4)/13/वा0प्र0बंदीस्था0(के0का0सितारगंज)/2021, दिनांक 21-03-2022 के संदर्भ में।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फरूर्खाबाद ।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in